

117/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियलय जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

15/12/2022 वकील वादीगण अनुपस्थित /
 पत्रावली का उपलोकन करने पर पाया
 कि उपरान्त दिनांक 15 माह के शिवाय
 कानून ले जाहीवादीगण को बाकी-दर
 समस्त तामिली में विचारार्थी न चल
 रहा है और कानून तलखाना चेरा
 करने के यत्न : अब 22 दिसे जो
 के उपरान्त भी शांदिनाम तक समस्त
 तलखाना चेरा नहीं किया जा रहा
 है हुल्ले प्रतिर होता है कि वकील
 वादीगण उपरान्त जो आगे चलाने के
 लिए इच्छुक नहीं है को 2 शाब्द
 वकील मय वादीगण में ले कोडे
 उपस्थित नहीं हुआ है। वहीं न्याय, मय
 रूप में तीन बार कलगा 2 समस्त
 में आयावों किस्काई गई, हाकीन
 वादीगण मय वकील में ले कोडे उपस्थित
 नहीं हुआ है। किनावा-वादीगण का
 वाद अदालत में ही च अदालत हाकीरी में
 खारिज किया जाता है।
 पत्रावली कोसम रुफार होकर
 जारी कर देना है।

विद्युत्प्रमाण

सहायक कलक्टर
(B.D.O.) बालोतक

